प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 2362/2020

सुरक्षित किया गया : 24.04.2025

पारित किया गया : 10.06.2025

रवीन्द्र गायकवाड़ पिता स्वर्गीय श्री वासुदेव गायकवाड़ उम्र लगभग 57 वर्ष निवासी सी–7, गैलेक्सी रेजीडेंसी, अमलीडीह, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

–––याचिकाकर्ता

बनाम

1- छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सचिव के द्वारा, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री निदेशालय ब्लॉक ए, दूसरी मंजिल, इंद्रावती भवन, मंत्रालय नव रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – तकनीकी शिक्षा निदेशालय छत्तीसगढ़, निदेशक के द्वारा, ब्लॉक – 3, तृतीय एवं चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

–––उत्तरवादीगण

–––

याचिकाकर्ता हेतु:––श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण हेतु :––श्री रितेश गिरि, पैनल अधिवक्ता

–––

(माननीय श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी,न्यायाधीश)

सी ए वी आदेश

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जारी आदेश अनुलग्नक पी–1 दिनांक 28–5–2020 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत उसका पदोन्नति आदेश दिनांक 17–6–2013 रद्द कर दिया गया था और उसे शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव के ओवरसियर के पद से अनुरेखक के पद पर वापस कर दिया गया था।

2.याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के तथ्य यह हैं कि,याचिकाकर्ता को प्रारंभ में नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल द्वारा 30–10–1989 को अनुरेखक के रूप में नियुक्त किया गया था।उसकी नियुक्ति आदेश को दिनांक 20–2–1990 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था।उत्तरवादी क्रमांक 2 से अनुलग्नक पी–3 के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने के बाद, उन्होंने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक से 'दूरस्थ शिक्षा' के माध्यम से 'मुद्रण प्रौद्योगिकी' में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया।याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ मुद्रण एवं लेखन सामग्री वर्ग-III (गैर-अनुसचिवीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 (संक्षेप में, 'सेवा नियम, 2011' के रूप में संदर्भित) द्वारा शासित हैं।याचिकाकर्ता ने अनुरेखक के पद पर 5 वर्ष से अधिक की सेवा/अनुभव पूरा किया था और वर्ष 2008 में उपरोक्त विश्वविद्यालय से 'मुद्रण प्रौद्योगिकी और ग्राफिक कला' में डिप्लोमा प्रमाण पत्र (एक्स. पी–6) भी प्राप्त किया था।अतः वर्ष 2013 में विभागीय पदोन्नति समिति (जिसे अब डी.पी.सी. कहा जाएगा) द्वारा पदोन्नति हेतु विचार किया गया तथा दिनांक 17–6–2013 के आदेश (अनुलग्नक पी–8) के तहत उन्हें ओवरसियर के पद पर पदोन्नत कर शासकीय मुद्रणालय, रायपुर में पदस्थ किया गया। परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 11–8–2015 के आदेश (अनुलग्नक पी–9) द्वारा उनकी सेवा की पुष्टि की गई, किन्तु दिनांक 28–5–2020 के आदेश (अनुलग्नक पी–1) के तहत उनका पदोन्नति आदेश निरस्त/वापस ले लिया गया तथा उन्हें शासकीय (क्षेत्रीय) मुद्रणालय, राजनांदगांव में अनुरेखक के पद पर वापस कर दिया गया।उन्हें इस आधार पर वापस कर दिया गया कि ओवरसियर के पद पर पदोन्नति के लिए मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा आवश्यक योग्यता है, लेकिन उन्होंने अन्य राज्य के मुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जो तकनीकी पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालयों में मान्यता प्राप्त नहीं है।यह भी अनुरोध किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत थी कि उसने वैध डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बिना पदोन्नति प्राप्त कर ली है, इसलिए जांच की गई और समीक्षा डीपीसी भी गठित की गई।तकनीकी शिक्षा विभाग से भी आवश्यक जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अन्य राज्य से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र पदोन्नति प्राप्त करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं है और इसलिए उसे वापस कर दिया गया है।आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी–1) से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने आरोपित आदेश को रद्द करने और उसे सभी परिणामी लाभों के साथ 28–5–2020 से पहले ओवरसियर के पद पर बनाए रखने की मांग करते हुए तत्काल याचिका दायर की है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, याचिकाकर्ता ने 'यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन

यूनिवर्सिटी' से दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिसे इस तरह के पाठ्यक्रम को चलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इसके बाद, 'यूजीसी' के रूप में संदर्भित) द्वारा अनुलग्नक पी–4 के अनुसार विधिवत मान्यता प्राप्त है।इस संबंध में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले ही एक स्पष्टीकरण आदेश/अधिसूचना जारी कर दी थी कि, दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से संचालित पाठ्यक्रम को डिग्री/डिप्लोमा आदि की मान्यता पर विचार करने के लिए नियोक्ता के विशेषाधिकार के तहत सार्वजनिक रोजगार के लिए मान्यता दी जाएगी। प्रतिवादी नंबर 2 से उचित अनुमति लेने के बाद, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2008 में मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कोर्स पूरा किया, उसके बाद, उन्हें वर्ष 2013 में पदोन्नत किया गया, लेकिन सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना, उन्हें वापस कर दिया गया है, वह भी कवरिंग मेमो (अनुलग्नक आर – 11) के साथ संलग्न कथित जांच रिपोर्ट के आधार पर।उन्होंने आगे कहा कि सेवा नियम, 2011 के नियम 13 और 14 के अनुसार, ओवरसियर के पद पर पदोन्नति के लिए केवल अनुरेखक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, जो याचिकाकर्ता के पास पहले से ही था।यह आक्षेपित आदेश तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण (अनुलग्नक R-4) के आधार पर पारित किया गया है, जिसके अनुसार, यूजीसी के दिनांक 25–7–2017 के पत्र के अनुसार, 'किसी भी संस्थान को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से एम.फिल. और पीएच.डी. सहित तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति नहीं है।'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (जिसे अब से 'एआईसीटीई' कहा जाएगा) भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्जित किसी भी तकनीकी योग्यता को मान्यता नहीं देती है।"यूजीसी के उपरोक्त पत्र दिनांक 25–7–2017 और निदेशक, तकनीकी शिक्षा, सीजी द्वारा जारी स्पष्टीकरण पत्र (अनुलग्नक आर–4) दिनांक 4–9–2018 के अनुसार, 'मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विनियमन, 2017' के प्रावधानों के मद्देनजर इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, वास्तुकला और फिजियोथेरेपी जैसे कार्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से अनुमति नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता ने विनियमन, 2017 के प्रभावी होने से पहले ही 'प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ग्राफिक आर्ट्स' में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था और वह वर्ष 2013 में ही पदोन्नत हो चुका था। इसलिए, यूजीसी विनियमन, 2017 के आधार पर स्पष्टीकरण पत्र (अनुलग्नक आर–4) दिनांक 4–9–2018 का केवल भावी प्रभाव हो सकता है, न कि पूर्वव्यापी प्रभाव, इस प्रकार, इसे याचिकाकर्ता के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है।इसलिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर याचिकाकर्ता को वापस भेजना पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है।

3.1 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रत्युत्तर का उल्लेख करते हुए यह प्रस्तुत किया कि दिनांक 8–10–2018 की समीक्षा–डीपीसी के सदस्यों की संरचना वैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि लेखा अधिकारी उस समीक्षा–डीपीसी में सदस्य थे, लेकिन सेवा नियम, 2011 के अनुसार, वे डीपीसी के सदस्य नहीं हो सकते थे, अतः उस दोषपूर्ण डीपीसी को याचिकाकर्ता के पदोन्नति आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार/अधिकार नहीं है। अतः इस आधार पर भी, समीक्षा–डीपीसी की सिफारिश पर आधारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

3.2 याचिकाकर्ता केविद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि, यद्यपि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय था, इसलिए इसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता, लेकिन याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद भी, उक्त विश्वविद्यालय में ही उक्त पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा और अन्य गतिविधियों में भाग लिया था, लेकिन उसने छत्तीसगढ़ राज्य में बैठकर परीक्षा और अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लिया। इस संबंध में, उन्होंने विभिन्न अर्जित अवकाश आवेदनों की प्रति भी दाखिल की है।उन्होंने यह भी कहा कि सेवा नियम, 2011 की अनुसूची (IV) का खंड (2) केवल ओवरसियर/तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अन्य वर्गों के डिप्लोमा धारक कर्मचारियों, जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव है, के लिए मानदंड प्रदान करता है, यह प्रावधान नहीं करता है कि डिप्लोमा प्रमाणपत्र किसी विशेष संस्थान से होना चाहिए या दूरस्थ माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वैध डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और अनुलग्नक आर–3 के अनुसार, दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) द्वारा भी उस विश्वविद्यालय को वर्ष 2007–08 के लिए दूरस्थ माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान की गई थी।इस प्रकार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी को यूजीसी के साथ–साथ दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) द्वारा दूरस्थ मोड के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान था, इसके बावजूद, उन्हें समीक्षा–डीपीसी की सिफारिश के आधार पर वापस कर दिया गया है, जो स्वयं सेवा नियम 2017 के अनुसार गठित नहीं है, इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को मांगी गई अनुतोष दी जा सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4.राज्य ने अपना जवाब दाखिल करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा है कि, याचिकाकर्ता को 17–6–2013 के आदेश (अनुलग्नक पी–8) के तहत ओवरसियर के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसे अन्य अनुभाग का डिप्लोमा धारक माना गया था, जिसके पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी था। इस संबंध में, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक, जो एक मुक्त विश्वविद्यालय है, ने याचिकाकर्ता को दो डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी किए हैं, पहला वर्ष 2008 में एक समेकित मार्कशीट और मुद्रण प्रौद्योगिकी एवं ग्राफिक कला में डिप्लोमा प्रमाण पत्र मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के माध्यम से और दूसरा वर्ष 2010 में सुभद्रा एजुकेशन सोसाइटी संस्थान, पुणे के माध्यम से मुद्रण प्रौद्योगिकी एवं ग्राफिक कला में एक समेकित मार्कशीट और डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है।उक्त विश्वविद्यालय को राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अपने वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित दूरस्थ शिक्षा माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने हेतु संस्थागत मान्यता प्राप्त है, लेकिन संबंधित राज्य की सीमा से बाहर नहीं।

4.1 राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उत्तर का उल्लेख करते हुए हुए प्रस्तुत किया कि, तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ से दिनांक 4–9–2018 के पत्र (अनुलग्नक R-4) के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगे जाने पर, निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा यह राय व्यक्त की गई है कि किसी भी संस्थान को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से एम.फिल और पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति नहीं है।एआईसीटीई डिप्लोमा,

स्नातक या इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा आदि के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र को भी मान्यता नहीं देता है, जो यूजीसी के 25-7-2017 के पत्र पर आधारित था।

4.2 यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जल संसाधनविभाग के विभिन्न अभियंताओं, जिन्होंने सेवा में आने से पहले और उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी.टेक/इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी, ने उस डिग्री के आधार पर अपनी पदोन्नति का दावा करते हुए रिट याचिका दायर की थी। तत्पश्चात, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त ऐसी डिग्री को नियुक्ति/पदोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र को उसकी पदोन्नति के लिए मान्यता नहीं दी जा सकती है।उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के डिप्लोमा प्रमाणपत्र के विरुद्ध परिवाद प्राप्त होने पर, जाँच की गई और जाँच रिपोर्ट (अनुलग्नक R-11) के अनुसार, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र को मान्यता नहीं दी जा सकती और उसके पास पर्यवेक्षक के पद का अनुभव भी नहीं है, इसके बावजूद उसे पदोन्नति दी गई है।यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, इसलिए उसे अपने संबंधित राज्य की सीमाओं के बाहर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है।इसके अलावा, याचिकाकर्ता उक्त वर्ष में नियमित कर्मचारी था जब उसने कथित तौर पर डिप्लोमा कोर्स किया और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त किया, लेकिन उसके लिए आवश्यक कक्षाओं, प्रैक्टिकल आदि में जाना और उपस्थित होना संभव नहीं था, जो तकनीकी शिक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ओवरसियर के पद पर पदोन्नति के लिए सेवा नियम, 2011 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता था।याचिकाकर्ता के पास जो डिप्लोमा प्रमाण पत्र है, वह यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त नहीं किया गया है और यहां तक कि उसे दो प्रमाण पत्र जारी करना भी इसकी वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। यद्यपि उपरोक्त तथ्यों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर, उन्होंने अनुलग्नक आर-जे-4 अर्थात् उक्त विश्वविद्यालय द्वारा लिखे गए पत्र को उसके प्रत्युत्तर के साथ दाखिल करके अपने तर्क में सुधार किया, जिसमें विश्वविद्यालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय के अभिलेख के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2008 में 'प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ग्राफिक आर्ट्स' में डिप्लोमा पूरा किया है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से, 2010 के रिकॉर्ड में भी प्रविष्टि की गई है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया और विश्वविद्यालय के अभिलेख से हटा दिया गया है। यह तथ्य दर्शाता है कि उक्त विश्वविद्यालय किसी न किसी माध्यम से याचिकाकर्ता के दावे को उचित ठहराने के लिए अनुचित प्रयास कर रहा है।

4.3 विद्वान राज्य अधिवक्ता ने अपने अतिरिक्त जवाब का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया कि, मुद्रण प्रौद्योगिकी और ग्राफिक कला में डिप्लोमा एक तकनीकी पाठ्यक्रम है और कोई भी तकनीकी पाठ्यक्रम किसी छात्र द्वारा दूरस्थ शिक्षा माध्यम से नहीं किया जा सकता है।एआईसीटीई किसी भी विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति नहीं देता है।

उत्तरवादीगण द्वारा अपने उत्तर में उठाई गई आपत्ति के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने पुनः अपने तर्क में सुधार करते हुए कहा कि, उन्होंने उक्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र 'बी लेंडेड मोड' के माध्यम से प्राप्त किया है, लेकिन यह तथ्य अपने आप में पूरी तरह से गलत है क्योंकि एआईसीटीई द्वारा मिश्रित शिक्षा पद्धति को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (मिश्रित शिक्षण मोड में तकनीकी शिक्षा के लिए अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2013 के माध्यम से वर्ष 2013 में ही लागू किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने कथित डिप्लोमा प्रमाणपत्र विनियम, 2013 के अधिनियमन से पूर्व वर्ष 2008 में प्राप्त किया था। यह तथ्य भी याचिकाकर्ता की उक्त तर्क का खंडन करता है।राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न अन्य तकनीकी पहलुओं को उठाया, जिनका उल्लेख यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा जारी परिपत्र, सार्वजनिक नोटिस के आलोक में अतिरिक्त रिटर्न में भी किया गया है, ताकि इस तर्क को प्रमाणित किया जा सके कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनुलग्नक पी–1 यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा जारी परिपत्र, विनियमन, दिशानिर्देशों का पालन करके जारी नहीं किया गया है, इसलिए इसे सेवा नियम, 2011 के तहत याचिकाकर्ता की पदोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त नहीं माना जा सकता है। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि याचिका खारिज की जा सकती है।

5.मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

6. निर्विवाद रूप से, दिनांक 17–6–2013 के आदेश अनुलग्नक पी–8 के तहत,याचिकाकर्ता को ट्रेसर के पद से ओवरसियर के पद पर पदोन्नत किया गया था क्योंकि उसके पास 5 वर्ष का अनुभव था और दिनांक 12–6–2013 की डीपीसी नोटशीट के अनुसार मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा था।

7.सेवा नियम, 2011 के नियम 13 की अनुसूची IV में अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक शर्तें/मानदंड दिए गए हैं, जिनका सुसंगत भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:–––

सरल क्रमांक	**उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है**	**उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है**	**कॉलम (2) में निर्धारित पद पर कार्य अनुभव**	**समस्त पदों हेतु लिए विभागीय पदोन्नति समिति हेतु सदस्यों हेतु नाम**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वरिष्ठ पाठक	प्रमुख परीक्षक/संपादक	05 वर्ष	(1) संयुक्त निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री। (2) संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, सरकारी मुद्रण प्रेस (3) सहायक निदेशक,

				सरकारी प्रेस (वरिष्ठ)
2.	(1) अनुभाग धारक (2) अन्य अनुभाग के डिप्लोमा धारक कर्मचारी जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव है	पर्यवेक्षक/ तकनीकी अधिकारी	05 वर्ष	......"......
3	सहायक अनुभाग धारक	अनुभाग धारक/उप– तकनीकी अधिकारी	5 वर्ष	........."........... ....
...	...	...	...	......

8. इस मामले में विवाद्यक यह है कि क्या याचिकाकर्ता के पास उत्तरवादी /विभाग में ट्रेसर के पद से ओवरसियर के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता है। इस संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुसूची IV का खंड (2) दर्शाता है कि ओवरसियर/तकनीकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए फीडर कैडर (1) अनुभाग धारक, (2) अन्य अनुभाग के डिप्लोमा धारक कर्मचारी हैं जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव है

9 .याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके पास ट्रेसर के पद पर 5 वर्ष से अधिक का अनुभव था और उसके पास 'प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और ग्राफिक आर्ट्स' में डिप्लोमा प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र पी–6) भी था, जो उसने वर्ष 2008 में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया था। उसके उपरोक्त अनुभव और डिप्लोमा प्रमाणपत्र को ध्यान में रखते हुए, उसे आदेश अनुलग्नक पी–8 दिनांक 17–6–2013 के तहत पदोन्नत किया गया था।

10.उत्तरवादी /राज्य की आपत्ति यह है कि किसी अन्य राज्य के मुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालय में तकनीकी पद पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु मान्य नहीं है। किन्तु सेवा नियम, 2011 की अनुसूची (IV) के खण्ड (2) में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र किसी विशिष्ट संस्थान द्वारा जारी किया गया होगा अथवा अन्य राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, बल्कि खण्ड (2) में प्रयुक्त शब्द केवल 'डिप्लोमाधारी कर्मचारी' है।अतः, जब नियम स्वयं उपरोक्त तथ्य को निर्दिष्ट नहीं करता है, तो याचिकाकर्ता की पदोन्नति के 7

वर्ष से अधिक समय पश्चात, प्रतिवादीगण याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र की मान्यता के संबंध में आपत्ति उठाने के हकदार नहीं हैं।

11.निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय से मुद्रण प्रौद्योगिकी और ग्राफिक कला में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जो यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 (अनुलग्नक AD-5) द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है।इस विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा ज्ञापन अनुलग्नक P–4 दिनांक 8–12–1992 के तहत मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1–3–1995 की अधिसूचना के आधार पर, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी योग्यताएँ प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीदासन विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य, [(2001) 8 एससीसी 676] मामले में एआईसीटीई अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की है और अभिनिर्धारित किया है कि 'यद्यपि विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा में कोई नया विभाग या पाठ्यक्रम और कार्यक्रम शुरू करने के लिए एआईसीटीई की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, तथापि विश्वविद्यालयों का एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों और मानदंडों का पालन करना दायित्व या कर्तव्य है। तकनीकी शिक्षा में समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने और मानकों के रखरखाव के उद्देश्य से, एआईसीटीई विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है, जो एआईसीटीई के प्रासंगिक नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी भी विश्वविद्यालय के सहयोग से तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थानों को एआईसीटीई की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विज्ञापन संख्या यूबी/04(03)/2011 के तहत सार्वजनिक सूचना (अनुलग्नक एडी–4) जारी की गई थी।इस प्रकार, चूँकि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य अधिनियम द्वारा की गई थी, इसलिए, उपरोक्त अधिसूचना, सार्वजनिक सूचना (अनुलग्नक AD/4) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीदासन विश्वविद्यालय (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, यहदूरस्थ शिक्षा माध्यम से तकनीकी योग्यता सहित सभी योग्यताएँ प्रदान करने का हकदार है।

12.अनुलग्नक पी–5 के अनुसार,मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दूरस्थ शिक्षा प्रभाग को आम जनता से कई प्रश्न प्राप्त होते हैं, जिनमें दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अर्जित शैक्षणिक योग्यता की मान्यता और केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य से उनकी स्वीकृति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। तत्पश्चात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुलग्नक पी–5 के माध्यम से 20–12–2011 को स्थिति स्पष्ट की, जो इस प्रकार है:––

"(क) यह संबंधित शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय पर निर्भर है कि वह शैक्षणिक लक्ष्य के लिए प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री आदि सहित योग्यता को मान्यता दे, अर्थात इसके साथ ही अन्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा जारी रखे।जहां तक रोजगार के उद्देश्य के लिए शैक्षणिक योग्यताओं की मान्यता का प्रश्न है, डिग्री, डिप्लोमा आदि की मान्यता पर विचार करना संबंधित नियोक्ता का विशेषाधिकार है।

(ख)xxxxxxxxxxxxxxxx

यह स्पष्ट किया जाता है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद या अखिल भारतीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा योग्यता की मान्यता का अर्थ विशिष्ट कार्यक्रम या डिग्री की मान्यता है, न कि केवल दूरस्थ माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय की मान्यता या अनुमोदन।"

13. उत्तरवादी /राज्य ने दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा जारी निर्देश (अनुलग्नक R–3) दाखिल किए हैं जो विश्वविद्यालयों/संस्थानों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने हेतु दी गई मान्यता से संबंधित हैं। अनुलग्नक R-3 का खंड 95 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा परिषद (DEC) द्वारा दूरस्थ शिक्षा माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करने हेतु संस्थागत मान्यता प्रदान की गई थी, जो वर्ष 2007–08 और 2008–2009 के लिए भी इसके वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित हैं।इस प्रकार, उपरोक्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य अधिनियम के तहत स्थापित राज्य विश्वविद्यालय होने के नाते, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी दूरस्थ माध्यम से तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए सक्षम थी और अनुलग्नक आर–3 यह भी दर्शाता है कि, इसे दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा संस्थागत मान्यता प्रदान की गई थी।हालाँकि, चूंकि यह राज्य विश्वविद्यालय था, इसलिए दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना (अनुलग्नक आर–7) के अनुसार इसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के भीतर था।

14.उत्तरवादियों/राज्य का तर्क था कि याचिकाकर्ता वर्ष 2004 से 2008 तक छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरवादी विभाग का नियमित कर्मचारी था, इसलिए उसके लिए मुद्रण प्रौद्योगिकी और ग्राफिक कला में डिप्लोमा का कोर्स करना संभव नहीं था, वह भी छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर स्थित मुक्त विश्वविद्यालय से, क्योंकि यह एक तकनीकी पाठ्यक्रम है और कोई भी तकनीकी पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा माध्यम से, विशेष रूप से 'मिश्रित माध्यम' के माध्यम से, नहीं किया जा सकता है, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (मिश्रित माध्यम में तकनीकी शिक्षा के लिए अनुमोदन प्रदान करना) विनियमन, 2013 के माध्यम से वर्ष 2013 में ही शुरू किया गया था। इसके अलावा, उक्त विश्वविद्यालय ने दो प्रमाण पत्र जारी किए थे, पहला वर्ष 2008 के लिए और दूसरा वर्ष 2010 के लिए।उपर्युक्त तर्कों के आधार पर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्र. पी–6 की वास्तविकता पर संदेह जताया।यह तर्क गलत पाया गया, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 से अनुलग्नक पी–3 दिनांक 10–11–2004 के माध्यम से उचित अनुमति के बाद, याचिकाकर्ता ने उक्त विश्वविद्यालय में मुद्रण प्रौद्योगिकी और ग्राफिक कला में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अर्जित अवकाश आवेदनों (अनुलग्नक आर–जे–5) (पृष्ठ 21 से 25) की प्रतियां भी दाखिल की हैं, जिनके द्वारा उन्होंने उक्त विश्वविद्यालय से उक्त पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए अर्जित अवकाश प्राप्त किया था।यह उत्तरवादीगण का यह तर्क नहीं है कि याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र से उक्त पाठ्यक्रम लिया था,बल्कि याचिकाकर्ता ने दूरस्थ शिक्षा माध्यम से वह पाठ्यक्रम किया था और उसने परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों में भाग

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लेने के लिए अवकाश लिया था।इसके अतिरिक्त, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिनांक 15–3–2019 के पत्र अनुलग्नक R-J–4 के माध्यम से, 'विश्वविद्यालय के अभिलेख के अनुसार, आपने (याचिकाकर्ता) मार्च, 2008 में मुद्रण प्रौद्योगिकी और ग्राफिक कला कार्यक्रम में डिप्लोमा पूरा कर लिया है, लेकिन किसी तकनीकी कारण से, आपने (याचिकाकर्ता) वर्ष 2010 में भी डिग्री प्राप्त कर ली है' शब्दों के साथ दो प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की है।इसके बाद, विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20–5–2019 को किए गए अन्य पत्र के माध्यम से, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि, वर्ष 2010 का उनका डेटा (जो किसी तकनीकी कारण से दर्ज किया गया था) विश्वविद्यालय के अभिलेख से हटा दिया गया है।इसके बाद, दिनांक 20–5–2019 को विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अन्य संचार के माध्यम से, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि, वर्ष 2010 का उनका डेटा (जो कुछ तकनीकी कारणों से दर्ज किया गया था) विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।उपरोक्त तथ्यों और उक्त विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के तहत, राज्य के अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता के डिप्लोमा प्रमाण पत्र (एक्स. पी–6) की वास्तविकता पर संदेह करना मान्य योग्य नहीं पाया गया।

15.इसके बावजूद, यदि उत्तरवादी प्राधिकारी/विभाग को याचिकाकर्ता के डिप्लोमा प्रमाण पत्र की वास्तविकता के संबंध में कोई आपत्ति थी, तो उन्हें याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने और विवेकपूर्ण जांच करने के बाद उचित आदेश पारित करना चाहिए था। लेकिन इस मामले में, बिना कोई विवेकपूर्ण जांच किए और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, एकमात्र प्राधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा कवरिंग मेमो अनुलग्नक आर–11 के माध्यम से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 12–7–2019 के माध्यम से यह बताया गया कि, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिप्लोमा प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह अन्य राज्य के विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जबकि इससे पहले याचिकाकर्ता के डिप्लोमा प्रमाण पत्र के संबंध में की गई शिकायत के संबंध में, निदेशक, संचालनालय, जनसंपर्क, अटल नगर, रायपुर ने संचार अनुलग्नक आर–जे–2 दिनांक 16–11–2018 के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि याचिकाकर्ता द्वारा मुद्रण प्रौद्योगिकी और ग्राफिक कला में दूरस्थ मोड के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र को यूजीसी द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इस प्रकार, दो अलग–अलग अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दो विरोधाभासी रिपोर्ट हैं ।अतः, बाद की जांच रिपोर्ट को वास्तविक कैसे माना जा सकता है और पहले की जांच रिपोर्ट को वास्तविक कैसे नहीं माना जा सकता है?इस प्रकार, बाद की जांच रिपोर्ट पर आधारित समीक्षा–डीपीसी की सिफारिश को याचिकाकर्ता को उसके पदोन्नति पद से निचले पद पर वापस लाकर दंडित करने के लिए वैध नहीं माना जा सकता है।

16.यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता को ओवरसियर के पद से ट्रेसर के पद पर पदावनत करने के लिए, 8–10–2018 को समीक्षा–डीपीसी आयोजित की गई थी, जिसमें (i) प्रभारी उप निदेशक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, (ii) प्रभारी संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर और (iii) लेखा अधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर शामिल थे, जबकि सेवा नियम, 2011 की अनुसूची IV के

कॉलम V के अनुसार, लेखा अधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।समीक्षा–डीपीसी की यह संरचना उपरोक्त सेवा नियम, 2011 के विरुद्ध थी, इसलिए याचिकाकर्ता के पदोन्नति आदेश की समीक्षा करना उचित नहीं था, इसलिए समीक्षा–डीपीसी की अनुशंसा के आधार पर याचिकाकर्ता को ओवरसियर के पद से ट्रेसर के पद पर वापस करना अवैधानिक है।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नोटशीट (अनुलग्नक आर–जे–1) की प्रति और उसके प्रत्युत्तर के अवलोकन से पता चलता है कि जब यह संज्ञान में आया कि समीक्षा–डीपीसी की संरचना दोषपूर्ण थी, तब सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर इसे ठीक करने का प्रयास किया गया था, जिस पर विभाग द्वारा यह राय दी गई थी कि समीक्षा–डीपीसी में लेखा अधिकारी को शामिल करना नियमों के विरुद्ध था और (डीपीसी में लेखा अधिकारी को शामिल करने के लिए) कार्योत्तर अनुमोदन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसे अनुमोदित करने से इनकार कर दिया गया था। इस प्रकार, चूंकि समीक्षा–डीपीसी की संरचना स्वयं ही अमान्य/सेवा नियम, 2011 के विरुद्ध थी, इसलिए याचिकाकर्ता को ओवरसियर के पद से ट्रेसर के पद पर वापस करने की इसकी अनुशंसा भी अमान्य है। परिणामस्वरूप, ऐसी अमान्य सिफारिश के आधार पर, याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी–1 दिनांक 28–5–2020 के अनुसार ट्रेसर के पद पर वापस करना भी अमान्य/अवैध पाया जाता है।

17.उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसके द्वारा इसे स्वीकृति दी जाती है।परिणामस्वरूप, दिनांक 28–5–2020 का आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी–1 अपास्त/रद्द किया जाता है।परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को 28–5–2020 से पहले की तरह ओवरसियर के पद पर बने रहने का हकदार माना जाता है और वह नियमों के अनुसार अपनी पात्रता के अनुसार बाद में पदोन्नति और अन्य लाभों का भी हकदार है।

18.लंबित अन्तरवर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निराकरण कर दिया जाएगा।इस पर कोई वाद व्यय देय आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/–
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***